न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या** 180/2025(GCMS : 2025/273)

बजाज हाऊसिंग फईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय चौथी मंजिल, बजाज फिरसर्व कॉरपोरेट ऑफिस (एचओ) विमान नगर, ऑफ पूणे – अहमदाबाद रोड़, पुणे, महाराष्ट्र–411014, **क्षेत्रीय कार्यालय** तृतीय मंजिल, लैंडमार्क टॉवर, जय क्लब के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राज–302001 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता मुकेश मेघवंशी

बनाम

1. **दुल्ला राम** पता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर, राजस्थान – 335704
2. **पुष्पलता** पता 9 ए एस श्रीविजयनगर, गंगानगर राजस्थान–335704

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी बैंक वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थीगण दुल्लाराम एवं पुष्पलता द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दुल्लाराम की गैर कृषि सम्पत्ति पट्टा नं. 47, बुक संख्या 191, विलेज 9 ए एस, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335704 एरिया 5504 वर्गफीट, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया ए[illegible] का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक प्रार्थना[illegible] [illegible] फाईनेंस द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकर[illegible] और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधि[illegible] 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण दुल्लाराम एवं पुष्पलता के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में दुल्लाराम की गैर कृषि सम्पत्ति पट्टा नं. 47, बुक संख्या 191,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विविध बैंक 180/2025
GCMS No. 2025/273

विलेज 9 ए एस, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335704 एरिया 5504 वर्गफीट, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था। और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेंस लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:47 IST
Reason: SelfAttested